—: आदेश :—

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त [illegible] दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार [illegible] सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती [illegible] सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती [illegible] अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

पूर्व इन्द्राज					[illegible] इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
आकोदा	83	कैलाशचन्द पुत्र [illegible] [illegible]	457 किला 6	कुल 5-03	कैलाशचन्द पुत्र [illegible] [illegible]	457 किला 6	कुल 5-03

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :— [illegible] मौलासर

क्रमांक :— 713 / 29.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :—

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :—

क्रमांक :—

प्रतिलिपि पालनार्थ :—

1. पटवार हल्का आकोदा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर